

FORM-1

(for linear projects)

Government of Himachal Pradesh

Office of the District Collector, Hamirpur (H.P.)

No. 183/DRA

Dated 25-04-2015

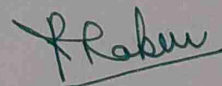
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **00-28-14 hectares** of forest land situated in Tikka Beha proposed for construction of **Link Road to vill. Badehra**, Tehsil Nadaun, District Hamirpur which falls within jurisdiction of forest area of **Tehsil Nadaun, District Hamirpur**.

It is further certified that:

- (nn) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-28-14** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... to.....annexure.....
- (oo) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha/Revenue Village Level Committees have given their consent to it.
- (pp) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl.:As Above.



District Collector,
Hamirpur District Hamirpur.

OFFICE OF THE SDO CIVIL, Hadagan
DISTRICT Hemispur (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of Hadagan Sub- Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Anil Kumar SDO(Civil) Hadagan on 11-2-2015 at 3.30 AM/PM at Hadagan (Place) in which the application(s) claiming rights in 2/2-3/2-86/2-86/3-1684/2 forest areas under FRA,2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of Mantheli Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Recommended/not Recommended)</u>
1.	
2.	
3.	
Place:	<u>S. D. O (C)</u> <u>SDO (Civil) cum Chairman/Chairperson</u>
Date :	<u>Sub-Division level Committee,</u> <u>Sub-Division.</u>

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा...
प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 12-5-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा... की बैठक आज दिनांक 12-5-2014 को 10:00 Am बजे स्थान... से श्री/श्रीमति... इन्दु बाला प्रधान वगे अध्यक्षता में की गई जिसमें... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत... जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें... विभाग द्वारा... के निर्माण के लिए... है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं. * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. ... बड़ा
संदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. ...
2. ...
संदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

संज्ञेनी, बड़ेडा

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ...
दिनांक 12/5/2014

Panchayat Secretary,
Gram Sabha ...
Dev, Block Nadaga (H.P.)

* पात्रवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है

- 1) श्री अशोक कुमार सपुत श्री देवराज प्रधान - ...
- 2) श्री प्रेम काल सपुत श्री कल्याण सपुत - ...
- 3) श्री मली राजकुमार पत्नी श्री राजकुमारी - ...

- 4) श्री प्रेम चन्द सपुत श्री मधुसूदा - ...
- 5) श्री लाल देवी पत्नी प्रेम लाल - ...
- 6) श्री बाबू खा सपुत श्री सैमल खा - ...
- 7) श्री बली मुहम्मद सपुत श्री कर्मचारी - ...
- 8) श्री बली देवी पत्नी श्री देवरा मुहम्मद - ...
- 9) श्री बली देवी पत्नी श्री देवरा मुहम्मद - ...
- 10) श्री बली देवी पत्नी श्री देवरा मुहम्मद - ...

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम 2006

ग्राम समा. मंडौली
प्रतिलिपि प्रस्थाप

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 12-5-2014

ग्राम समा. मंडौली की बैठक आज दिनांक 12-5-2014 को 10.00 AM
को, स्थान मंडौली में श्री/श्रीमति इन्दुवाला की अध्यक्षता में
की गई जिसमें सुझैली, कट्टा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मंडौली, कट्टा जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें हिन्दुवाला विभाग द्वारा वेडू चिं राड के निर्माण के लिए 00-28 हैक्टयर वन
भूमि का उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वालियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम समा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	—	<u>वेडू</u>	—
2.	—	—	—

तदनुसार यह ग्राम समा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं. 00910 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. —
2. —

तदनुसार ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मंडौली, कट्टा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मंडौली
दिनांक 12-05-2014

Panchayat Secretary,
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता Manjehi
ग्राम समा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस ग्राम क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

वन विभाग द्वारा जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मंडौली
 विकास खण्ड गाँव बंदेड़ा जिला डुमरपुर (हि0प्र0)

प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 12-5-2014

गणपूर्ति /

प्रस्ताव संख्या 01

विषय: वन विभाग का सर्वेक्षण के निर्माण हेतु असुरक्षित सड़क गाँव बंदेड़ा
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-28-14 हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा मंडौली की बैठक आज दिनांक 12-5-2014 को 10.00 AM बजे सभा G.P. MANJHELI में
 की गई जिसमें हि0प्र0 गाँव बंदेड़ा विभाग/संस्था को असुरक्षित सड़क गाँव बंदेड़ा
 के निर्माण हेतु सर्वेक्षण जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
00-28-14 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कानून हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह धारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-28-14 हेक्टेयर वन भूमि को असुरक्षित सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा मंडौली की सहमति दी जाती है।

स्थान मंडौली
 दिनांक 12-5-2014

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा

Manjhele



कार्यालय ग्राम पंचायत मंझेली

विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

क्रमांक... 71/2018...

काल दिनांक - 04

दिनांक... 26/06/2018

अध्यक्षता : श्री श्री गोकुलचरण प्रधान उपस्थिति : 3 प्रश्न

विषय : अनापत्ति पत्राण पत्र देना कोर !

पंचायत बैठक ने प्रधान गोकुलचरण

ने प्रस्ताव रखा है कि निर्माण सड़क लम्पक
गर्ज गांव वरिष्ठ, प्रधान गोकुलचरण द्वारा सड़क
गोखना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतः पंचायत बैठक ने सर्वसम्मति
से प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त
सड़क का काम यदि हि० प्र० लो० नि०
विभाग कारवाया है तो ग्राम पंचायत
मंझेली को अपने कोई भी अंश नहीं है।

प्रस्ताव की प्रतिनिधि सदस्यक अभियन्ता
PWD चानेर की सेवा में प्रेषित है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह कार्य प्रस्ताव
मुताबिक चल रहा है।



Neelam Sharma
Pradhan

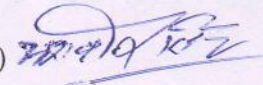
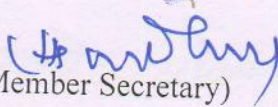
Gram Panchayat, Manjehli

Dev. Block Nadaun, Hamirpur (H.P.)

26/06/2018

Proceeding of the meeting of District Level Committee constituted under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights Forest Right Act-2006) was held on dated 10-04-2015 under the Chairmanship of Sh. Rohan Chand Thakur (IAS) Deputy Commissioner Hamirpur.

The presence of Members of Committee is as Under:

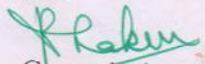
- 1 Smt. Sangeeta Chandel
Divisional Forest Officer , Hamirpur. (Member) 
- 2 Smt. Promila Devi Member of Zila Parishad
D/o Sh. Ishwar Dutt R/o Vill Bailag, PO Jijwin,
Tehsil Bhoranj (Member)
3. Smt. Arvid Kaur Rani Member Zila Parishad,
W/o Sh. Manjit Singh V. P.O. Mehre, (Member)
Tehsil Barsar.
- 4 Sh. Yashveer Singh, Member Zila Parishad
S/o Sh. Bachitter Singh Vill. Samella P.O.
Maharal, Tehsil Barsar, District Hamirpur (Member) 
- ✓ 5 Sh. Himanshu Shekhar Chaudhary (IAS)
Additional Deputy Commissioner, Hamirpur. (Member Secretary) 

On the basis of recommendation received from Sub- Division Level Committees Nadaunvide his office letter letter No.248/SDN/OK dated 18-03-2015, the proposal for the diversion of Forest land in favour of HPPW Department for the Construction of link roads which falls in the jurisdiction of Nadaun Forest Division consisting of area of SDO© in Sub Divisions Nadaun as per detail given below:

Sr. No	Name of Forest	Name of Panchayat	Khasra No.	Area Proposed for diversion (Hects)	Purpose/Construction of
1	Kashmir	Kashmir	2588/1	00-04-22	Link road Panyali to Nugraon
2	Ghaloon	Ghaloon	457,598,600, 298/1,629/1	00-36-41	link road to vill. Ghaloon.
3	Kashmir	Kashmir	2597/1,2603/1,2604/1 ,2603/4, 2601/1	00-29-61	link road Kashmir to Bhira
4	Malag	Malag	1628/2, 1629/2	00-19-11	link road Malag-Khatrod-Jassai-via Charada
5	Jassai	Jassai	1540/1/1	00-16-41	link road Daar-Dheli-Jassai
6	Beha	Majheli	2/2,22,86/2, 86/3,1684/2	00-28-14	link road to vill. Badhera.
7	Beha	Pansai	231/1,231/3	00-14-87	link road Beha-Kathol via Gujrehra.
8	Badoi	Jhallan	239,240,251, 13,93,97,117	00-44-92	link road Ansra-Loharli
9	Jangli	Karour	72,180,195,222	00-33-84	link road to vill Gauna

The members present in the meeting expressed their consent for approval of the above proposals.

Meeting ended with the vote of thanks from and to the chair.


Deputy Commissioner,
District Hamirpur (H.P.)

-6- सम्पर्क मार्ग चण्डा - मंडल चण्डा - तहसील गौरीन वन अधिकार समिति मंडली
 Km 0/0 to 1/2 में सम्पर्क मार्ग चण्डा के निर्माण हेतु नक्का खाता 2/2 - 3/2 - 86/2 - 86/3 - 168/2

किता 5 कुल रकबा 0.28.14 हेक्टे का आवक अनापत्ती उगाव पर जारी करने के लिये सम्पर्क मार्ग चण्डा जातु वन अधिकार समिति उगाव पर जारी करने के लिये सम्पर्क मार्ग चण्डा जातु वन अधिकार समिति से चर्चा की गई तथा चर्चा के दौरान पाया गया कि वन अधिकार समिति मंडली द्वारा सिगारिस की गई है कि उक्त पर्वत रकबा उक्त प्रोजेक्ट हेतु प्रयोग लाया जाता है तो अनुसूचित जाति जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की पातना अनुसार अधिकारों का हनन नहीं होता है।

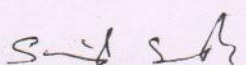
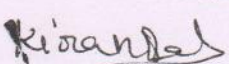
-7- सम्पर्क मार्ग चण्डा - हयोल - वन गुरेहड़ा रोड Km 0/0 to 1/730 :-
 मंडल चण्डा मौजा हयोल वन

अधिकार समिति पन्नाई तहसील गौरीन जिला लोहरा में सम्पर्क मार्ग चण्डा हयोल - वन गुरेहड़ा के लिये नक्का खाता 23/1/ 00/2-67 हेक्टे व 23/3 00/2-30 हेक्टे कुल रकबा 0.4-87 हेक्टे उक्त प्रोजेक्ट हेतु प्रयोग लाया जाता है के बारे में वन अधिकार समिति पन्नाई द्वारा सम्पर्क मार्ग के लिये प्रयोग लाये जाने वाले रकबा का अनापत्ती उगाव पर जारी कर सिगारिस की है कि उक्त पर्वत रकबा उक्त प्रोजेक्ट हेतु प्रयोग किया जाता है तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति - जनजाति और परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता वन अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की पातना अनुसार अधिकारों का हनन नहीं होता है।

-8- सम्पर्क मार्ग अमरा - लोहरली सड़क Km 0/0 to 4/140

मंडल लोहरली चण्डा वन अधिकार समिति भालाहा तहसील गौरीन जिला लोहरा में सम्पर्क मार्ग अमरा - लोहरली सड़क के निर्माण हेतु मंडल लोहरली में नक्का खाता 13-93-97-117 किता 4 व मंडल चण्डा में नक्का खाता 239-240-251 रकबा 0.21.28 हेक्टे कुल रकबा 0.44-82 हेक्टे उक्त प्रोजेक्ट हेतु प्रयोग लाये जाने वाले रकबा का अनापत्ती उगाव पर जारी करने के लिये वन अधिकार समिति भालाहा द्वारा अनापत्ती उगाव पर जारी कर सिगारिस की गई है। उक्त रकबा उक्त प्रोजेक्ट हेतु प्रयोग लाया जाता है तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति और परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की पातना अनुसार अधिकारों का हनन नहीं होता है।

Meeting of Sub Divisional Civil Committee
 regarding forest dwellers (Recognition of forest
 rights Act/Rules) of Sub Division Nandawn
 held on 11.2.15 at 3.30 P.M. The following
 were present:—

Sl. No.	Name of officers/officials	Desig. & Mob No.	Sign.
1.	Deputy Insp.	Assistant Engineer, HP PWD SUB-DIVISION DIANETA	
2.	Surinder Singh	walk Guspe etc	
3.	Kiran Dale	B.D.C Bhumpal 92418371248	
4.	Summa Devi	B.D.C An Panyali 9419212533	Summa Devi
5.	Ramon Kumar	R.O. Nodum 94197-29113	